संख्या-2161/चौवालिस-2-14/च.स.-37/90

प्रेषक,

श्री प्रेम शंकर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों/नोयडा
एवं बीडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 17 दिसम्बर, 1990

विषय :-सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र, सेवा समाप्ति अथवा मृत्यु आदि से फलस्वरूप होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति के लिए आरिक्षत पदों को भरे जाने के लिए सामान्य छूट।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों तथा उनकी इकाईयों में ओवर स्टाफिंग को रोकने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 1184/चौवालिस-2-14/च.स./1987, दिनांक 30 नवम्बर, 1987 द्वारा निगमों/उपक्रमों में नये पदों के सृजन एवं रिक्त पदों के भरे जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2- जहां अधिकांश निगमों/उपक्रमों में ओवर स्टाफिंग है और उनके नये पदों के सृजन एवं रिक्त पदों को भरे जाने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 1987 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया बनाये रखना आवश्यक है वहीं कुछ निगमों में जहां कार्य की क्षमता अब भी है और वे ठीक प्रकार से कार्य कर रहे है, उनमें रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरा जाना आवश्यक हो जाता है परन्तु उक्त प्रक्रिया के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं हो पाता है।

3- अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि केवल प्रोन्नति से भरे जाने वाले पद यदि मृत्यु, सेवासमाप्ति, त्याग-पत्र तथा सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त हो जाते हैं तो उनको भरे जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अनुमति से शासनादेश दिनांक 30-11-1987 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया रे एक निश्चित अवधि के लिए सामान्य छूट देते हुए निगमों के प्रबन्ध मण्डल को यह अधिकार दे दिया जाय कि वे निम्न शर्तों के अधीन इस प्रकार रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे :-

(क) "पदों को आन्तरिक प्रोन्नत द्वारा भरा जायेगा"।

(ख) "निगम के वर्तमान कार्यभार को ध्यान में रखते हुए प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह देखा जायेगा कि क्या इन पदों को भविष्य में बने रहने का औचित्य है अथवा नहीं"।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सीधी भर्ती के पदों को भरे जाने हेतु शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 1987 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी भले ही वे पद मृत्यु, सेवा समाप्ति, त्याग-पत्र अथवा सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त हुए हों।

4- उपरोक्त छूट देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक निगम विशेष को उक्त प्रकार से रिक्त हुए किसी भी श्रेणी के पदों को आन्तरिक प्रोन्नति से भरने हेतु शासन की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता न पड़े और पदों को यथाशीघ्र भर लिया जाया करे।

5- छूट प्रदान करने के पूर्व यह भी देखना आवश्यक होगा कि निगम की वित्तीय स्थिति कैसी है और यदि निगम हानि में चल रहा है तो उसे बनाये रखने की आवश्यकता है अथवा नहीं। अतः जो निगम/उपक्रम उक्त प्रकार से रिक्त हुये पदों को आन्तरिक प्रोन्नति से भरने के लिए निर्धारित प्रक्रिया से छूट प्राप्त करने में रूचि रखते हों, वे कृपया संलग्न प्रारूप में सूचना सहित अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम विभाग को तत्काल प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें ताकि परीक्षणोपरान्त मुख्य सचिव महोदय के अनुमोदन से यह निर्णय लिया जा सके कि किस निगम को कितनी अवधि के लिये शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 1987 में निर्धारित प्रक्रिया से सामान्य छूट प्रदान की जाये।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,
प्रेम शंकर,
विशेष सचिव।

संख्या 216 (1)/44-2-14/च.स.-87, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों से संबंधित शासन के समस्त प्रशासकीय अनुभाग।
(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
आर0 एन0 सिन्हा,
अनु सचिव।

प्रारूप

निगम का नाम :-

2- कर्मचारियों/अधिकारियों की स्वीकृत पदों की संख्या :-

(1) समूह "क" .....
(2) समूह "ख" .....
(3) समूह "ग" .....
(4) समूह "घ" .....

3- प्रोन्नति से भरे जाने वाले प्रस्तावित रिक्त पदों की संख्या/पद नाम उनके रिक्त होने का कारण तथा भरती का स्रोत (आडिट किये हुए बैलेन्स शीट सहित)

(1) मृत्यु .....
(2) सेवा समाप्ति .....
(3) सेवानिवृत्ति .....
(4) त्याग-पत्र .....

4- रिक्त पदों को भरने के संबंध में निगम प्रबन्ध मण्डल का मत :-

5- गत पांच वर्षों में वास्तविक व्यवसाय/लाभ/हानि :-

(1) 1985-86
(2) 1986-87
(3) 1987-88
(4) 1988-89
(5) 1989-90

6- आगामी वर्षों में अनुमानित व्यवसाय/लाभ/हानि :-

(1) 1990-91
(2) 1991-92

7- निरन्तर हानि की दशा में जन उपादेयता या समाजिक कल्याण के उद्देश्य से निगम/उपक्रम के पुनर्गठन अथवा सँविलियन आदि करते हुये निगम/उपक्रम को चालू रखने के संबंध में अभिमत :